संख्या-66/2017/581/35-4-2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय-जनपदो को क्रिटिकल गैप्स योजना के अर्न्तगत पूंजीगत विकास कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदो में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुये विभिन्न विकास कार्यो के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रो के लिये रू0 60.00 लाख तथा शहरी क्षेत्रो हेतु रू0 15.00 लाख अर्थात कुल रूपये 75.00लाख प्रति जनपद की दर से 75 जनपदो हेतु कुल मिलाकर रू0 5625.00 लाख धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्नक-1 के विवरणानुसार संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1- यह धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिस मद के लिये स्वीकृत की गयी है इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

2- योजनान्तर्गत चयनित कार्यो पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का राजकोष से आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उदेद्श्य से धनराशि आहिरत कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी

4- प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो का चयन और कार्यान्वयन शासनादेश संख्या 1191/35-4-2007, दिनांक 26 मार्च 2008 द्वारा निर्गत मार्गदशी सिद्वान्तों के अधीन किया जायेगा, और उक्त शासनादेश के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आाधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखो से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-4 को प्रेषित किया जायेगा

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति संबंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। तद्नुसार कार्यवार वित्तीय एंव भौतिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायगी।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में जमा नही किया जायेगा ।

2- प्रश्नगत मद पर होने वाला व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय-800 अन्य व्यय-05 पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24- वृहद निर्माण कार्य एंव शहरी क्षेत्रो में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्वय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूंजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

( राम नरायन सिंह यादव )
विशेष सचिव

संख्या-66/2017/581(1)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रधान महालेखाकार लेखा एंव हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एंव द्वितीय, इलाहाबाद ।
3-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4-निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
5-समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7-समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग -5 ।
9-राज्य योजना आयोग अनुभाग -1 ।
10-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी) अर्थ एंव संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश ।
11-समस्त जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश:66/2017/581(1)/35-4-2017 दिनांक- 12 सितम्बर,2017का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामीण क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि | शहरी क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि | जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | लेखाशीर्षक | 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय-800 अन्य व्यय-05-पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य | 4217-शहरी विकास पर पूॅजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य | |
| 1 | आगरा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 2 | मैनुपरी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 3 | मथुरा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 4 | फिरोजाबाद | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 5 | अलीगढ | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 6 | हाथरस | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 7 | एटा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 8 | कासगंज | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 9 | झांसी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 10 | ललितपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 11 | जालौन | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 12 | हमीरपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 13 | चित्रकूट | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 14 | बांदा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 15 | महोबा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 16 | लखनऊ | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 17 | रायबरेली | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 18 | उन्नाव | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 19 | हरदोई | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 20 | सीतापुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 21 | खीरी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 22 | बरेली | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 23 | पीलीभीत | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 24 | शाहजहापुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 25 | बदांयू | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 26 | मेरठ | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 27 | बागपत | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 28 | बुलन्दशहर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 29 | गौतमबुधनगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामीण क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि | शहरी क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि | जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | लेखाशीर्षक | 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय-800 अन्य व्यय-05-पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य | 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य | |
| 30 | हापुड | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 31 | गाजियाबाद | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 32 | सहारनपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 33 | मुजफफरनगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 34 | शामली | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 35 | मुरादाबाद | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 36 | रामपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 37 | सम्भल | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 38 | बिजनौर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 39 | अमरोहा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 40 | वाराणसी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 41 | गाजीपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 42 | चन्दौली | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 43 | जौनपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 44 | मिजार्पुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 45 | संतरविदास नगर भदोही | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 46 | सोनभद्र | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 47 | गोरखपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 48 | देवरिया | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 49 | महाराजगंज | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 50 | कुशीनगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 51 | बस्ती | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 52 | संतकबीरनगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 53 | सिद्वार्थनगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 54 | आजमगढ | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 55 | मऊ | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 56 | बलिया | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 57 | इलाहाबाद | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 58 | कौशाम्बी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामीण क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि | शहरी क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि | जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | लेखाशीर्षक | 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय-800 अन्य व्यय-05-पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य | 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य | |
| 59 | प्रतापगढ | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 60 | फतेहपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 61 | कानपुर नगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 62 | कानपुर देहात | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 63 | इटावा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 64 | फरूर्खाबाद | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 65 | कन्नौज | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 66 | औरैया | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 67 | फैजाबाद | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 68 | सुल्तानपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 69 | बाराबंकी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 70 | अम्बेडकरनगर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 71 | अमेठी | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 72 | गोण्डा | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 73 | श्रावस्ती | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 74 | बलरामपुर | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| 75 | बहराइच | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
| | **योग --** | **4500.00** | **1125.00** | **5625.00** |
| | | **(रूपये छप्पन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** | | |

(राम नरायन सिंह यादव )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।